

राजस्व मंडल केस रीवा
न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल केस रीवा संभाग रीवा (म०प्र०)



R-138-III/2012

शिवाधार सिंह उम्र 70 वर्ष, पिता स्व०चन्दी सिंह सा०-रइया तहसील
बिरसिंहपुर जिला सतना म०प्र०-----निगराकार

बनाम

- 1- श्रीमती अराधना सिंह पत्नी शिवपाल सिंह उम्र 30 वर्ष,
 - 2- शिवपाल सिंह उम्र 35 वर्ष तनय श्री जयराम सिंह
- दोनो निवासी ग्राम रइया तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना
म०प्र०-----गैर निगराकार

श्री श्रीमान्
बिरसिंहपुर जिला
सतना (7-1-12) का
दस्तावेज नं० 43/09-10

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०
विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय
सतना प्र०क०-229 निगरानी/2010-11
आदेश दिनांक 05.12.11 एवं नायब तहसीलदार
वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर के राजस्व
प्रकरण क्रमांक - 43अ12/09-10 आदेश
दिनांक 02.06.11

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निम्न आधारो पर निगरानी
प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि गैर निगराकार क्रमांक-2 ने मौजा रइया की
आराजी नम्बर- 463,468,469,470,472/1 कुल रकवा 4.20ए०
को वर्ष 2009 मे मचखड़ा के छोटेलाल से खरीदकर अपनी पत्नी गैर
निगराकार क्रमांक-1 के नाम कराया तथा वह गांव के कुछ आपराधि
के व शरारती व्यक्तियों से मिलकर निगराकार की आराजी
नम्बर-437/1ख रकवा 0.50ए० को हड़पने के लिए षडयंत्रपूर्वक

Conti.....2

[Handwritten signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-138-III/12

जिला-सतना

शिवाधार सिंह / अराधना सिंह

(1)	(2)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राजीव लोचन विश्वकर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 02.06.11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>